केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 02.06.2017

सीबीआई ने व्यापम से सम्बन्धित अलग-अलग मामलों में दो उम्मीदवारों, तीन मध्यस्थों एवं एक परनामधारी के विरूद्ध दो आरोप पत्र दायर किए

सीबीआई ने व्यापम मामलों के विशेष दण्डाधिकारी की अदालत, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में एक उम्मीदवार के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के साथ पठित धारा 511 के तहत आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उक्त मामला दर्ज किया एवं पूर्व में दिनांक 24.02.2013 को पुलिस स्टेशन मोरार, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत उम्मीदवार के विरूद्ध दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की जॉंच को अपने हाथों में लिया। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में ऐसा आरोप था कि उम्मीदवार ने उप निरीक्षक/ सूबेदार, प्लाटून कमाण्डर परीक्षा, 2012 में कई आवेदन जमा किए। उसे एक परीक्षा केन्द्र अर्थात गर्वनमेन्ट हॉयर सेकण्डरी स्कूल-02, माल रोड, बारादरी, मोरार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) पर दो अनुक्रमांक आवंटित हुए। दिनांक 16.09.2012 को परीक्षा के दौरान, वह पहले प्रवेश पत्र/ अनुक्रमांक पर उक्त केन्द्र पर स्वम् उपस्थित हुआ। हालॉंकि, अन्य प्रवेश पत्र/ अनुक्रमांक, जो कि उसे ही आवंटित हुआ था, उसने अपने क़जिन (Cousin) को बैठाया।

सीबीआई जॉंच से पता चला कि उम्मीदवार ने कथित रूप से भिण्ड (मध्य प्रदेश) स्थित एक कम्प्यूटर सेन्टर से उक्त परीक्षा हेतु 8 आवेदन पत्र भरा। जॉंच के दौरान, हस्थलेखन/ हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान पर विशेषज्ञ राय ली गई। सी.एफ.एस.एल. के विशेषज्ञ ने भी कहा

कि उम्मीदवार पहले अनुक्रमांक के आधार पर परीक्षा में बैठा। गहन जॉंच के पश्चात, उक्त उम्मीदवार के विरूद्ध आरोप पत्र दायर हुआ। सुनवाई की अगली तारीख 21.07.2017 है।

एक अन्य मामले में, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल (मध्य प्रदेश) की अदालत में उम्मीदवार ; तीन मध्यस्थों एवं एक परनामधारी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 471 व मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम,1937 की धारा 4 के साथ पठित धारा 3-डी (1),(2) के तहत आरोप पत्र दायर हआ।

सीबीआई ने मामला दर्ज किया एवं पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा (पी.सी.आर.टी), 2012 में एक उम्मीदवार के अवैध चयन के आरोपो पर एस.टी.एफ., भोपाल की अपराध संख्या 2/2015 पर दायर समादेश याचिका (सिविल) संख्या 417/2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.07.2015 के आदेश के अनुसरण में उक्त मामले की जॉंच को अपने हाथों में लिया। ऐसा आगे आरोप था कि उम्मीदवार ने मध्यस्थों के माध्यम से परनामधारी की व्यवस्था कर उक्त परीक्षा को पास करने के लिए अनुचित साधन का प्रयोग किया। सीबीआई को मामला स्थानान्तरित होने के पहले तक एस.टी.एफ. मध्य प्रदेश द्वारा की गयी जॉंच के दौरान मध्यस्थ एवं परनामधारी, दोनो की पहचान नही हो पायी/ पता नही लग पाया। सीबीआई के द्वारा दोनो को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपपत्र के साथ अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। अन्य आरोपी वर्तमान में जमानत पर है।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्धारा की गयी जॉंच व इसके द्धारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****